

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

शुद्धि प्राम सि. - क्र. नं. 103/2020

09.02.2024

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान

उपस्थित। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से सम्बन्धित मूल वादपत्र न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर आज डिक्री होकर अन्तिम निस्तारण हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति में इस प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य प्रतित नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

